कार्यालय निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर

क्रमांकः–शिविरा / प्रार / आरटीई / बी / सॉफ्टवेयर / 18894 / 13–14 / 192 दिनांकः– 12.12.13

जिला शिक्षा अधिकारी
प्रारम्भिक / माध्यमिक शिक्षा
....

विषयः–गैर सरकारी विद्यालयों द्वारा निःशुल्क शिक्षा हेतु प्रवेशित बालकों की भौतिक सत्यापन रिपोर्ट को आरटीई ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड करने व कार्यालय स्तर पर इसकी पुष्टि करने एवं गैर सरकारी विद्यालयों द्वारा जनरेट क्लेम बिल में कैंसिलेशन / दुरस्त किये जाने के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि दिनांक 06.12.13 को प्रमुख शासन सचिव महोदया द्वारा दिये निर्देशों के दौरान दिनांक 10.12.13 से 24.12.13 तक सत्र 2012–13 में किये गये पुनर्भरण की सूचना व भौतिक सत्यापन रिपोर्ट आरटीई ऑनलाईन पोर्टल पर अपलोड करने व विभाग द्वारा इसकी पुष्टि करने हेतु आरटीई वेब पोर्टल को पुनः खोला गया है। जिसके संबंध में दिशा निर्देश निम्नानुसार हैः–

1. कई जिलों में बीईईओ / डीईओ(मा.)कार्यालय स्तर पर सत्र 2012–13 में आरटीई के अन्तर्गत प्रवेशित बालकों का गैर सरकारी विद्यालयों को की गयी पुनर्भरण राशि आरटीई वेब पोर्टल पर अपलोड नहीं किये जाने के कारण गैर सरकारी विद्यालयों को भौतिक सत्यापन रिपोर्ट पोर्टल पर अपलोड करने में समस्या आ रही है। अतः जिन जिलों में सत्र 2012–13 में किये गये भुगतान की राशि एवं लाभान्वित बालकों की संख्या पोर्टल पर अपलोड नहीं की गयी है, वे यह कार्य अतिशीघ्र सम्पादित करें, जिससे विद्यालय अपनी भौतिक सत्यापन रिपोर्ट पोर्टल पर अपलोड कर सके। कुछ जिलों में उक्त सूचना गलत अपलोड की गई है, वे भी इसे 24.12.13 से पहले दुरूस्त कर लेवें।
2. अगर किसी विद्यालय द्वारा भौतिक सत्यापन रिपोर्ट अपलोड करते समय समायोजन राशि, कटौति राशि या सत्र 2012–13 की कुल फीस को गलत प्रविष्ट कर दिया गया है और संबंधित बीईईओ / डीईओ(मा.) कार्यालय स्तर पर भी इसकी यथावत पुष्टि कर दी गई है तो ऐसी संस्था द्वारा क्लेम बिल जनरेट करने पर उसे प्राप्त होने वाली पुनर्भरण राशि सही नहीं आएगी। इसे दुरस्त करने के लिए जिला शिक्षा अधिकारी प्रारम्भिक के लॉगइन में एक मोड्यूल बनाया गया है। पास ऑर्डर जारी करने से पूर्व इस प्रकार की जानकारी आने पर संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी(प्रा.शि) को इस बारे में पत्र द्वारा अवगत करवाकर यह सूचना सही करवाएं। आवश्यक संशोधन के बाद ही पास ऑर्डर जनरेट करें।
3. जैसा की पूर्व में निर्देशित किया जा चुका है, एक बार क्लेम बिल जनरेट होने के बाद उस सत्र की उस किस्त विशेष के लिए दूसरा क्लेम बिल जनरेट नहीं किया जा सकता। ऐसी स्थिति में यदि क्लेम बिल पूरी तरह से गलत तैयार हो गया है तो क्लेम बिल कैन्सलेशन का मोड्यूल जिला शिक्षा अधिकारी प्रारम्भिक के लॉगइन में दिया गया है। इस हेतु स्कूल से क्लेम बिल कैन्सलेशन बाबत आवश्यक आवेदन पत्र प्राप्त कर अपने रिमार्क द्वारा DEO(ele) को आवेदन करें एवं पहले से जारी किया गया क्लेम बिल कैन्सल करवाएं। DEO(ele) द्वारा कैन्सलेशन के पश्चात् स्कूल को यह सूचना ऑनलाईन भेज दी जाएगी। विद्यालय द्वारा आवश्यक संशोधन कर पुनः भौतिक सत्यापन रिपोर्ट की एन्ट्री कर लॉक किया जाएगा एवं विभाग से पुष्टि उपरान्त फिर से नया क्लेम बिल जनरेट किया जाएगा एवं इसकी हस्ताक्षरित हॉर्ड कॉपी संबंधित बीईईओ / डीईओ(मा.) में जमा करवाई जाएगी।

(हस्ताक्षर)
निदेशक
प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

प्रतिलिपिः–निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः–

1. श्रीमान् आयुक्त राजस्थान प्रारम्भिक शिक्षा परिषद्, शिक्षा संकुल, जयपुर।
2. निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर को प्रेषित कर निवेदन है कि माध्यमिक शिक्षा के समस्त उप निदेशक एवं जिला शिक्षा अधिकारी को सूचित कर अनुपालना करवावें।
3. प्रमुख प्रणाली विश्लेषक एवं प्रोजेक्ट समन्वयक एन.आई.सी. केन्द्र जयपुर को उनके ई मेल दिनांक 10.12.13 के कम में अनुमोदन की सूचना बाबत्।
4. उप निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा.. को प्रेषित कर लेख है कि वे अपने परिक्षेत्र के अधीन संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी प्रारम्भिक शिक्षा एवं ब्लॉक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी को निर्देशानुसार कार्यवाही सम्पादित करने हेतु पाबन्द कर सूचना समय पर निदेशालय को प्रेषित करना सुनिश्चित करावें।
5. रक्षित पत्रवाली।

(हस्ताक्षर)
निदेशक
प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर